मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 1990 (चैत्र 2, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री गिरवरसिंह पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि. प्राविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कंपनी लिमिटेड बम्बई का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार:—

(क) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 (राजस्व प्राप्तियां) क्रमांक 3-1989.

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष का (सिविल) क्रमांक 4-1989

पटल पर रखेंगे.

3. उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव

(1) श्री श्यामा चरण शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"कि श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय"

श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, सतना जिले के टोंस टाइटल प्रोजेक्ट के डूब क्षेत्र का अधिग्रहण किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले में पीलिया रोग का प्रकोप होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री रामानन्द सिंह / इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, सतना जिले की बाणसागर परियोजना का कार्य धीमी गति से होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री चन्द्रकान्त गुप्ता, सदस्य, खरगोन जिले में कृषि भूमि का अवैध पंजीकरण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, कोटा विधान सभा क्षेत्र के अनेक क्षेत्रों में ट्यूबवेल बंद होने से सिंचाई कार्य प्रभावित होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री श्री गोपाल भार्गव / रामकृष्ण कुसमरिया, सदस्य, सागर जिले के बीडी श्रमिकों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होने की ओर राज्य मंत्री, श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. याचिका की प्रस्तुति

श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, नवनिर्मित शासकीय आवास गृह कोटरा सुल्तानाबाद के एच एवं आई टाईप के आवास गृहों के सामने वाउन्ड्रीवाल, गैरिज में दरवाजा एवं पीछे दोनों ब्लाकों के दोनों किनारों पर दीवाल बनवाने एवं अन्दर बनी अलमारियों में दरवाजे लगवाये जाने के संबंध में 43 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 1989-90 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री वर्ष 1989-90 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री भेरूलाल पाटीदार, सदस्य द्वारा दिनांक 20 मार्च, 1990 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

5 बजे तक

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

8. अशासकीय संकल्प

5 बजे से निर्धारित समय ½ घन्टा

सर्वश्री कमलेश्वर द्विवेदी, रामलखन शर्मा, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"इस सदन का मत है कि मध्यप्रदेश में कार्यक्षम बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार गारन्टी योजना चलाकर तुरन्त रोजगार उपलब्ध कराया जाये."

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में सूखा, पेयजल एवं चारे की कमी के उत्पन्न संकट तथा राहत कार्यों के संबंध में सर्वश्री जगदंबा प्रसाद निगम / रामलखन शर्मा / गौरीशंकर बिसेन तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपालः
दिनांक 22 मार्च, 1990.